न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 141/2023 दायर दिनाँक 04.10.2023

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. दयालाराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी मीर कुआ की ढाणी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन	बनाम्	1. श्रीमान जिला कलक्टर डीडवाना 2. तहसीलदार डीडवाना 3. भारत संचार निगम लिमिटेड नागौर राज.

प्रार्थना–पत्र बाबत्
अस्थायी व्यादेश हेतु
अन्तर्गत धारा– 212 R.T.Act.

उपस्थितः–
1. श्री समदरसिंह नाथावत वकील प्रार्थी।
2. श्री कमल मोठ वकील अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 14.05.2025

प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मीर कुआ की ढाणी के खसरा संख्या 1980 रकबा 07 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 54 रकबा 0.0300 है. बने है (उक्त खसरे में से 0.0200 है. गै.मु.टावर अप्रार्थी संख्या 3 को एलॉट होने पर खसरा नं. 323/54 बने व शेष खसरा 54 के रकबा 0.0100 है. के नये खसरा संख्या 324/54 बने) तथा खसरा संख्या 181 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये खसरा संख्या 55 रकबा 0.5800 हैक्टर व खसरा संख्या 56 रकबा 0.0400 हैक्टर बने है खसरा संख्या 187 रकबा 01 बिस्वा जिसके नये खसरा संख्या 64 रकबा 0.0100 है. बने है। खसरा संख्या 188 रकबा 07 बीघा जिसके नये खसरा संख्या 65 रकबा 0.0500 है. व नये खसरा संख्या 66 रकबा 0.2100 है. व नये खसरा संख्या 67 रकबा 0.87 है. बने है। उक्त खसरों की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों की भुल से पुराने खसरा संख्या 1980, 1981, 1987, 1988 शरहद मीर कुआ की ढाणी जो सदैव से कस्टोडियन विभाग भारत सरकार के रूप में दर्ज रही है तथा उक्त खसरान भूमि पर कब्जा काश्त सदैव से वादी का रहा है तथा उक्त भूमि कृषि पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है तथा उक्त कृषि भूमि संवत् 2023 से लेकर 2058 से 2061 तक कस्टोडियम के नाम गलत दर्ज रही है। उक्त कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से वादी का काब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी समय समय पर उपरोक्त खेतों की राज्य सरकार में लगान अदा करता रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना किसी कब्जे के खसरा संख्या 54 रकबा 0.0300 है. में से 0.0200 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को 99 वर्ष के लिए गै.मु.टॉवर हेतु एलॉट कर देने से अप्रार्थी संख्या 3 के एजेन्ट द्वारा मौके पर टॉवर स्थापित किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी हुआ है।

प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि मौजा मीर कुआ की ढाणी के खसरा संख्या 1980 रकबा 07 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 54 रकबा 0.0300 है. बने है (उक्त खसरे में से 0.0200 है. गै.मु.टावर अप्रार्थी संख्या 3 को एलॉट होने पर खसरा नं. 323/54 बने व शेष खसरा [illegible] 0.0100 है. के नये खसरा संख्या 324/54 बने है) की भूमि में [illegible] के [illegible] काश्त में प्रतिवादी संख्या 3 किसी प्रकार टॉवर स्थापित नहीं करे तथा [illegible] के कब्जा काश्त व प्रार्थी के उपयोग उपभोग में [illegible] एजेन्ट आवि[illegible] करावे तथा मौके की [illegible] तापैसला दावा बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बावत जवाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कमल मोठ ने जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि वाद ग्रस्त जायगा कस्टोडियन विभाग में दर्ज रही है और किसी अन्य खाते में नहीं रही इसलिए प्रार्थी का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। जिला कलक्टर नागौर द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 भारत संचार नि0 लि0 नागौर को क्रमांक प. 12 (01) ( ) राजस्व /2023/3497 दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से मीर कुआं की ढाणी के खसरा संख्या 54 रकबा 0.03 है. गै.मु. में से 2000 वर्गफुट भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर भा.सं.नि.लि. नगौर को 4 जी मोबाईल टॉवर स्थापना हेतु निशुल्क आवंटित की गयी। जिला कलक्टर नागौर के उक्त वर्णित पत्रांक के अन्तर्गत निशुल्क आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 3 ने भा.सं.नि.लि. द्वारा टॉवर का निर्माण शुरू किया गया एवं प्रार्थी तथा उसके परिवार द्वारा टॉवर के फाउण्डेशन बनाने के कार्य के दौरानं न तो कभी विरोध किया गया और न ही रोका गया और फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण होने पर कुछ समय पश्चात् जब टॉवर निर्माण शुरू होता है तब ही प्रार्थी ने विरोध शुरू किया इससे अप्रार्थी संख्या 3 को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि टावर के फाउण्डेशन में राजकीय राशि का उपयोग बहुत मात्रा में हो चुका है और अब सिर्फ टॉवर लगाना ही बाकी शेष रहा है। प्रार्थी जानबुझ कर अब आपत्ति कर रहा है जिससे अप्रार्थी संख्या 3 को बहुत नुकसान हो रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जा–खर्चा खारिज फरमावे।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त खसरों की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों की भुल से पुराने खसरा संख्या 1980, 1981, 1987, 1988 शरहद मीर कुआ की ढाणी जो सदैव से कस्टोडियन विभाग भारत सरकार के रूप में दर्ज रही है तथा उक्त खसरान भूमि पर कब्जा काश्त सदैव से वादी का रहा है तथा उक्त भूमि कृषि पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना किसी कब्जे के खसरा संख्या 54 रकबा 0.0300 है. में से 0.0200 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को 99 वर्ष के लिए गै. मु.टॉवर हेतु एलॉट कर देने से अप्रार्थी संख्या 3 के एजेन्ट द्वारा मौके पर टॉवर स्थापित किया जा रहा है जिन्हे रोका जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित किया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वाद ग्रस्त जायगा कस्टोडियन विभाग में दर्ज रही है और किसी अन्य खाते में नहीं रही इसलिए प्रार्थी का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है एवं जिला कलक्टर नागौर के उक्त वर्णित पत्रांक के अन्तर्गत निशुल्क आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 3 ने भा.सं.नि.लि. द्वारा टॉवर का निर्माण शुरू किया गया फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण होने पर कुछ समय पश्चात् जब टॉवर निर्माण शुरू होता है तब ही प्रार्थी ने विरोध शुरू किया इससे अप्रार्थी संख्या 3 को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि टावर के फाउण्डेशन में राजकीय राशि का उपयोग बहुत मात्रा में हो चुका है।

बहस पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– सरहद मीर कुआं की ढाणी के नवीन खसरा संख्या 323/54 में अप्रार्थी [illegible] स्थापित नहीं किये जाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रा[illegible]तदुअ[illegible]र रहा है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि नहीं है [illegible] प्रश्त भूमि अप्रार्थी 3 की खातेदारी भूमि है जिसे [illegible] आवंटित किया गया है। उक्त [illegible] अन्य खसरान् की भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी द्वारा पूर्व में कस्टोडियन भूमि दर्ज बताया है। अतः खसरा नं. 323/54 की भूमि का प्रार्थी रेकर्डेड खातेदारी नहीं होने एवं अप्रार्थी संख्या 3 एकल खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विपक्ष तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में है। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन :–** अप्रार्थी संख्या 3 खातेदार काश्तकार होने एवं टॉवर निर्माण नहीं किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 3 को भारी असुविधा होगी। प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होने पर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतित नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** अप्रार्थी संख्या 3 खातेदार काश्तकार होने एवं टॉवर निर्माण नहीं किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 3 को भारी राजकीय हानी होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 3 खातेदारी की भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

मौजा मीर कुआ की ढाणी के खसरा संख्या 323/54, 324/54, 55, 56, 64, 65, 66, 67 भूमि पर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 14.05.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner